**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–132/2021**

किशुन चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पिन्टु चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **16.02.2026** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी सं0–02 ता 04 की तरफ से तीन आवेदन दिनांक 04.03.2025 अंदर आदेश 22 नियम 03 एवं धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, आवेदन दिनांक 18.06.2025 अंदर दफा 5 परिसीमा अधिनियम (क) एवं दिनांक 21.07.2025 अन्दर आदेश 22 नियम 09 वो दफा 151 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 16.02.2026 को आदेश हेतु नियत है।<br>वादी सं0–02 ता 04 के विद्वान अधिवक्ता आवेदन दिनांक 04.03.2025 अंदर आदेश 22 नियम 03 एवं धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में मुदई सं0–01 किशुन चौधरी अपने पिछे बतौर विधिक जायज वारीशानों के रूप में तीन पुत्र भरत चौधरी, आजाद चौधरी और अमर चौधरी एवं तीन पुत्रियों गिता देवी, रंजिता देवी और उर्मिला देवी को छोड़कर दिनांक 22.11.2024 को वफात कर गये है। न्यायहित में वादी सं0–01 किशुन चौधरी का नाम कलमजद करके उनके जगह पर उनके जायज विधिक वारीशानों का नाम दर्ज करना न्यायहित में जरूरी वो लाजमी है। प्रस्तावित प्रतिस्थापना का पूर्ण तपसील इस आवेदन के मद नं0–01 में दिया जा रहा है। प्रस्तावित प्रतिस्थापना आवेदन अन्दज अर्जी नालिश महज नामनीहादी वो औपचारिक प्रवृति का है जिससे मोकदमा के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रस्तावित प्रतिस्थापन को मंजूर करने की कृपा करें और वादी किशुन चौधरी का नाम कमलजद करते हुए उनके विधिक वारीशानों को क्रमानुसार वादी पक्षकार बनाने की कृपा की जाए।<br>वादी सं0–02 ता 04 के विद्वान अधिवक्ता आवेदन दिनांक 18.06.2025 में निवेदन करते है कि उपरोक्त वाद | |

**<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>**

**स्वत्व वाद सं0–132/2021**

किशुन चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पिन्टु चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 16.02.2026** | में मुदई सं0–01 किशुन चौधरी की मृत्यु मोकदमा के दौरान दिनांक 22.11.2024 को हो गई है। जिस संदर्भ में वादी सं0–02 ता 04 अन्दर आदेश 22 नियम 03 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2025 को दाखिल किए किन्तु जानकारी के अभाव में उक्त आवेदन निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत दाखिल नहीं कर सकें। वादीगण के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 04.03.2025 निर्धारित समयावधि से 12 दिन विलम्ब से दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में समय–सीमा को वेभ करने के लिए आवेदन अन्दर दफा परिसीमा आवेदन अनिवार्य है। वादी सं0–02 ता 04 प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में जान बुझकर कोई गलती या लापरवाही नहीं किए है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 04.03.2025 में हुए विलंब को वेभ करते हुए प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करने की कृपा प्रदान की जाय।<br>वादी सं0–02 ता 04 के विद्वान अधिवक्ता आवेदन दिनांक 21.07.2025 में निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में मुदई सं0–01 किशुन चौधरी अपने पीछे अपने जायज विधिक वारिशानों को छोड़कर दिनांक 22.11.2024 को वफात कर गए। किन्तु जानकारी के आभाव में प्रतिस्थापन आवेदन निर्धारित समयावाि के अंदर मुदईयान दाखिल नहीं कर सकें। प्रतिस्थापन की कार्यवाही में हुये विलम्ब के आलोक में मुदईयान दिनांक 18.06.2025 को दफा 5 परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र दाखिल कर चुके है वो वास्ते माटाने खरखसा आइन्दे स्वत्व उपसम्मित मियाद को निरस्त करने हेतु उक्त आवेदन मुदईयान प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 04.03.2025 के समर्थन में दाखिल कर रहे है। अतः श्रमान् से निवेदन है कि स्वतः उपसम्मित मियाद को निरस्त करते हुए मन मुदईयान का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 04.03.2025 को स्वीकृत करने की कृपा किया जाए। | |

**<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>**

**स्वत्व वाद सं0–132/2021**

किशुन चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पिन्टु चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 16.02.2026** | प्रतिवादीगण के द्वारा वादी सं0–02 ता 04 के तीनों आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी सं0–02 ता 04 के द्वारा तीन आवेदन दिनांक 04.03.2025 अंदर आदेश 22 नियम 03 एवं धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, आवेदन दिनांक 18.06.2025 अंदर दफा 5 परिसीमा अधिनियम (क) एवं दिनांक 21.07.2025 अन्दर आदेश 22 नियम 09 वो दफा 151 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया एवं आवेदन दिनांक 04.03.2025 में निवेदन किया गया कि प्रस्तुत वाद के वादी किशुन चौधरी की मृत्यु दिनांक 22.11.2024 को हो गई है। वादी किशुन चौधरी का नाम कमलजद करते हुए उनके विधिक वारीशानों को वादी पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी सं0–02 ता 04 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 18.06.2025 में निवेदन किया गया कि प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 04.03.2025 में हुए विलंब को वेभ करते हुए प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करने की कृपा प्रदान की जाय। आवेदन दिनांक 21.07.2025 में निवेदन किया गया कि स्वतः उपसम्मित मियाद को निरस्त करते हुए मन मुदईयान का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 04.03.2025 को स्वीकृत करने की कृपा किया जाए। वादीगण का आवेदन न्यायसंगत है तथा इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 04.03.2025, आवेदन दिनांक 18.06.2025 एवं आवेदन दिनांक 21.07.2025 को मो0 500/– हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है और वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र से मृत वादी किशुन चौधरी का नाम वादी कॉलम से कलमजद करते हुए उनके | |

**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–132/2021**

किशुन चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पिन्टु चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 16.02.2026** | स्थान पर उनके विधिक वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित करें।<br>आगामी दिनांक 08.04.2026 वास्ते अग्रीम कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है।<br>लेखापित<br>अवर न्यायाधीश–1<br>नरकटियागंज | |